कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 1370/दो–11–12/2022 **भोपाल, दिनांक 23/08/2024**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 695/लेखापाल/2019 भोपाल दिनांक 10.07.2019 द्वारा इस न्यायिक जिला स्थापना भोपाल में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक **श्री राजेश कुमार तंवर, श्री सीमोन बैंक, श्री बलराम वर्मा** की सहायक ग्रेड–3 के पद पर परिवीक्षा पर पदोन्नत प्रदान कर मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी.स्कोर कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने की शर्त पर पदोन्नत किया गया था। समय समय पर उक्त तीनों शासकीय सेवकों को पदोन्नति दिनांक से उक्त अर्हता उत्तीर्ण करने संबधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्र. ए/3440/तीन–17–22/09 दिनांक 27.09.2018 सहपठित म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी/3–18/01/3/2010 भोपाल दिनांक 31.08.2010 के अनुक्रम में उन्हे 05 वर्ष तक का अधिकतम समय प्रदान किया हैं,किन्तु उनके द्वारा दिनांक 21.08.2024 तक सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा उर्त्तीण कर प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये है।

पदोन्नति आदेश में अधिरोपित शर्त कि "परीविक्षा अवधि में उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने कि दशा में उन्हें उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जावेंगा।" के अनुक्रम में एवं कार्यालयीन विभागीय पदोन्नति समिति कि अनुशंसा दिनांक 21.08.2024 से सहमत होते हुऐ सशर्त सहायक ग्रेड–3 के पद पर परीविक्षाधीन शासकीय सेवक **श्री राजेश कुमार तंवर, श्री सीमोन बैंक, श्री बलराम वर्मा** को चतुर्थ श्रेणी के मूल पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

चतुर्थ श्रेणी के मूल पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत उक्त तीनों शासकीय सेवकों की वरिष्ठता पूर्वानुसार रहेंगी।

(अमिताभ मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
o/c **भोपाल (मध्यप्रदेश)**

पृष्ठां.क 6257/दो–11–12/2022 **भोपाल, दिनांक 23/08/2024**

प्रतिलिपि–

1. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, भोपाल/बैरसिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
4. लेखापाल/षष्ठम सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/नायव नाजिर/सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक/ऑफिस मोहर्रिर की ओर सूचनार्थ एव आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निज सहायक न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संबधित कर्मचारी **श्री राजेश कुमार तंवर, श्री सीमोन बैंक, श्री बलराम वर्मा भृत्य** की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आदेश तक नजारत अनुभाग भोपाल/बैरसिया/कुटुम्ब न्यायालय भोपाल में प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के अनुक्रम में कार्य संपादित करेगे,पालनार्थ प्रेषित है।
7. जूनियर सिस्टम ऐनालिस्ट, सिविल कोर्ट भोपाल की ओर अवलोकनार्थ एवं संबधित की ओर ई–मेल से भिजवाये जाने व जिला न्यायालय भोपाल की अधिकृत वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित है।

(अमिताभ मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
o/c **भोपाल (मध्यप्रदेश)**